

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या -1990 / 2015 / श्रीगंगानगर

2. अपील संख्या -1991 / 2015 / श्रीगंगानगर

मैसर्स बेअन्त कन्सट्रक्शन कंपनी प्रा.लि.,
सूरतगढ़

.....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स),
वाणिज्यिक कर, बीकानेर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स एण्ड लीजिंगटैक्स, श्रीगंगानगर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री के.एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के. पारीक, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरना

उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 24 / 01 / 2018

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 69 एवं 70 / आरवेट / सूरतगढ़ / 2015-2016 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24(6) / 33 के अंतर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिये पारित संशोधन आदेश दिनांक 01.12.2014 के जरिये निम्नांकित तालिकानुसार आरोपित की गई मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करते हुए दोनों अपीलें स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं, जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। प्रस्तुत अपीलों का विवरण निम्नानुसार है :-

प्रस्तुत अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	अपीलीय अधिकारी के आदेश का विवरण		कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का विवरण			
		अपील संख्या	दिनांक	आदेश अंतर्गत धारा	दिनांक	असत्यापित आईटीसी	ब्याज
1990 / 15	2007-08	70 / आरवेट / सूरतगढ़	29.09.15	24(6)	01.12.14	1726094	613625
1991 / 15	2008-09	69 / आरवेट / सूरतगढ़	29.09.15	24(6)	01.12.14	520730	229894

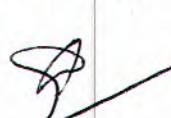
2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाता है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावे।

31

निरन्तर.....2

3. दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 हेतु अपीलार्थी के नियमित कर निर्धारण क्रमशः दिनांक 30.03.2010 एवं 21.02.2011 को सम्पूरित किये गये थे। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा क्लेम की गई आईटीसी का सत्यापन सम्बन्धित वृत्तों से करवाये जाने पर कुछ इनपुट टैक्स की राशियां सत्यापित नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 33 के अंतर्गत संशोधन आदेश पारित कर असत्यापित आई.टी.सी. राशि एवं ब्याज की माँग सृजित की गई थी।
4. इन आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिनका निस्तारण दिनांक 17.10.2012 को करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये कि मूल वैट इन्चॉसेज के आधार पर आगत कर का सम्बन्धित वृत्तों से सत्यापन करवाने के पश्चात् व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित करे।
5. तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 24(6) के तहत उक्त दोनों कर निर्धारण वर्षों के आदेश दिनांक 01.12.2014 को पारित कर असत्यापित आई.टी.सी. व इस पर ब्याज आरोपण कर जमा राशि के समायोजन पश्चात् मांग राशि क्रमशः रुपये 13,44,130/- एवं 5,49,190/-कायम की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.09.2015 द्वारा व्यवहारी की अपीलें स्वीकार कर कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।
6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल आदेशों में अनुमत किया गया था वह पूर्णतः नियमानुसार था, अतः संशोधन आदेश द्वारा तथाकथित असत्यापित आईटीसी अस्वीकार करना विधिसम्मत नहीं है। उनका यह भी कथन है कि रिकॉर्ड से प्रकट ऐसी कोई त्रुटि थी ही नहीं अतः आदेश को संशोधित करना धारा 33 के अंतर्गत मान्य नहीं है। द्वितीयतः उन्होंने यह भी जाहिर किया कि कर निर्धारण अधिकारी को अपीलीय आदेश दिनांक 30.11.2012 को प्राप्त हो चुका था एवं अपीलीय आदेश की पालना में पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.12.2014 को पारित किया गया जो कि दो वर्ष की विधिक समय सीमा से बाहर (time barred) होने के कारण अविधिक है, अतः उन्होंने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की।
7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों का समर्थन किया।
8. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
9. जहां तक अपीलीय आदेश दिनांक 17.10.2012 की पालना में पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.12.2014 को पारित होने के कारण अपीलार्थी के कथनानुसार ये आदेश दो वर्ष के विधिक समयावधि के पश्चात् किये जाने से ये अवधि पार होने से तथाकथित रूप से अविधिक होने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में विधिक स्थिति का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि दिनांक 30.07.2014 तक धारा 24(6) के प्रावधान निम्नानुसार थे :-



 निरन्तर.....3

"(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), where an assessment order is passed in consequence of or to give effect to any order of an appellate or revisional authority or a competent court, it shall be completed within two years of the communication of such order to the assessing authority; however, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months."

परन्तु राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 के द्वारा दिनांक 31.07.2014 से प्रभावी, धारा 24 की उपधारा (6) के प्रावधान निम्नानुसार कर दिये गये हैं :-

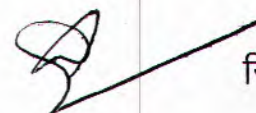
"(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final adjudication of such proceedings. The limitation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority."

10. उक्त संशोधित प्रावधानों के अनुसार किसी कर निर्धारण सम्बन्धी कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष लम्बित होने की दशा में ऐसा कर निर्धारण लम्बित कार्यवाही के अंतिम निर्णय के दो वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। प्रस्तुत प्रकरणों में स्वयं अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलीय आदेश दिनांक 17.10.2012 के विरुद्ध पेश की गई अपीलें कर बोर्ड के समक्ष अभी तक लम्बित हैं तथा धारा 24(6) में किये गये संशोधन के पश्चात प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर बोर्ड द्वारा उक्त अपीलों के निष्पादन के दो वर्ष पश्चात तक किये जा सकने सम्बन्धी संशोधित प्रावधानों के आलोक में विवादित अपीलीय आदेश की तामीली के दो वर्ष के भीतर कर निर्धारण सम्पूरित किया जाना ऐसी दशा में आवश्यक नहीं है, जब कि अपीलीय आदेश के विरुद्ध कर बोर्ड में अपील विचाराधीन हो। चूंकि अपीलीय आदेश दिनांक 17.10.2012 के विरुद्ध कर बोर्ड के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गई थी, जो कि दिनांक 31.07.2014 को भी लम्बित थी अतः ऐसी दशा में धारा 24(6) के संशोधित प्रावधान ही लागू होंगे। अतः धारा 24(6) के संशोधित प्रावधानों के मद्देनजर कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.12.2014 समयावधि पार नहीं माना जा सकता है, अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी का पक्ष स्वीकार योग्य नहीं है।

11. द्वितीयतः अपीलार्थी का यह कथन कि 'कर निर्धारण आदेश में ऐसी कोई प्रकटतः त्रुटि नहीं थी अतः धारा 33 के अंतर्गत संशोधन कार्यवाही नहीं की जा सकती है', के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थिति से ज्ञात होता है कि जिस आगत कर राशि का राजकोष में जमा होने का सत्यापन ही नहीं हुआ था परन्तु ऐसी राशि का भी समायोजन दे दिया गया था, अतः इसे अभिलेख से प्रकट त्रुटि माना जाना उचित है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी का पक्ष स्वीकार योग्य नहीं है।

12. अपीलीय आदेश दिनांक 29.09.2015 में इस प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मूल वैट इन्वॉयसेज के आधार पर सम्बन्धित वृत्तों से आगत कर का सत्यापन करवाने के पश्चात ही कर निर्धारण आदेश पारित किया जावे। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के आदेश का निम्नलिखित अंश उल्लेखनीय है :-





निरन्तर.....4

“इसके अलावा रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी को रिमांड प्रकरण के निस्तारण हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है तथा किसी प्रकार का एक भी नोटिस जारी नहीं किया गया है यह बेहद गम्भीर मामला है, जिसमें दो वर्ष की अवधि में कोई सम्मन जारी नहीं किया गया और दिनांक 01.12.2014 को सीधा कर निर्धारण आदेश ही पारित कर दिया गया है, जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार एवं वेटकर नियम 48 के अनुसार यह आवश्यक है कि व्यवसायी के विरुद्ध कायम किये जाने वाले अतिरिक्त कर दायित्व से पूर्व उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना आवश्यक होता है। अपीलार्थी के प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की गयी है तथा रिमांड प्रकरण की दो वर्ष की मियाद अपील निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तथा अंतिम समय में जब कुछ ही दिन शेष रहे तथा समय सीमा समाप्त होने जा रही थी तो कर निर्धारण अधिकारी ने आगत कर का सत्यापन मूल वेट इन्चार्जसेज से किये बिना यह लिखते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया कि अपीलार्थी ने मूल वेट बिल पेश नहीं किये हैं जिसके अभाव में असत्यापित आगत कर का पुनः सत्यापन नहीं करवाया जा सका, उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत एक मौका और दिया जाता है तथा उक्त आधार पर उक्त दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया जाता है एवं उक्त दोनों प्रकरण सक्षम अधिकारी को पुनः प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वे मूल वेट इन्चार्जस के आधार पर संबंधित वृत्तों से आगतकर का सत्यापन करवाने के पश्चात ही कर निर्धारण आदेश पारित किया जावे, क्योंकि सत्यापन किया जाना विभाग का दायित्व है। बाद सत्यापन/असत्यापन तदनुसार सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया जावे।”

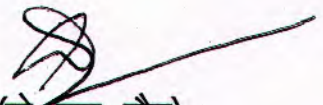
13. उक्त अपीलीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण का अवलोकन सारगर्भित एवं गम्भीरता से (objectively & seriously) करते हुए ही प्रकरण प्रतिप्रेषित किये हैं, अतः अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि या अविधिकता नहीं होने से यह पुष्टि किये जाने योग्य है।

14. उक्त विवेचना के अनुसार अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, फलतः इसकी पुष्टि की जाती है तथा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

15. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(कै. एल. जैन)
सदस्य